

प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 22/2022)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा)

भादूविप्रा ने "मीडिया स्वामित्व से संबंधित मुद्दों" पर परामर्श पत्र जारी किया

नई दिल्ली, 12 अप्रैल 2022- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "मीडिया स्वामित्व से संबंधित मुद्दे" पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

- मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के कारण संवैधानिक लक्ष्यों और आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक सिद्धांत को अक्षरशः लागू करने में मीडिया के महत्व को ध्यान में रखते हुए भादूविप्रा ने मीडिया स्वामित्व से संबंधित मुद्दों पर अपनी विभिन्न अनुशंसाएं सरकार को भेजी हैं। इस तरह की अंतिम अनुशंसाएं 12.08.2014 को भेजी गई थीं।
- प्राधिकरण को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से इसकी 2014 की अनुशंसाओं पर पुनर्विचार करने और विशेष रूप से नई डिजिटल तकनीकों जैसे कि ओवर-द-टॉप प्लेटफॉर्म (ओटीटी) के आगमन के साथ, मीडिया और मनोरंजन उद्योग में उभरते परिवर्तनों के आलोक में अनुशंसाओं के एक नए सेट को जारी करने के लिए, एक संदर्भ प्राप्त हुआ है।
- परामर्श पत्र में मीडिया स्वामित्व, विशेष रूप से क्रॉस-मीडिया स्वामित्व और प्रसारण क्षेत्र में लंबवत एकीकरण से संबंधित मुद्दों के संबंध में आवश्यकता, प्रकृति और सुरक्षा उपायों के स्तर पर हितधारकों के विचार मांगे गए हैं।
- परामर्श पत्र का पूरा पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।
- परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर 10 मई 2022 तक हितधारकों से लिखित टिप्पणियां और 24 मई 2022 तक प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं।
- टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में, श्री अनिल कुमार भारद्वाज,

सलाहकार (बी एंड सी एस), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को ईमेल advbcs-2@traigov.in और jtadvbcs-2@traigov.in पर भेजी जा सकती हैं।

8. किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बी एंड सी एस) से दूरभाष संख्या +91-11-23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।

वी. रघुनंदन
सचिव, भादूविप्रा